



प्रेस नोट थाना डिडौली

दिनांक 26.08.2021

श्रीमती पूनम पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देशन में शातिर अपराधियों के विरुद्ध कार्यावाही जारी

शातिर गौतस्कर गिरफ्तार, 02 जीवित गौवंशीय पशु, हुन्डई कार व कटान के उपकरण बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती पूनम के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में थाना डिडौली पुलिस द्वारा दिनांक 25/26.08.2021 की रात्रि करीब 01.30 बजे चैकिंग के दौरान ग्राम मुण्डा इम्मा से बुढनपुर वाले रास्ते पर गौवंशीय पशुओं को बांधकर हुन्डई कार से कटान के लिये ले जाते समय अभियुक्त उवैश पुत्र आशकार निवासी ग्राम ढकिया चमन थाना डिडौली जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिसके 02 अन्य साथी अंधेरे का लाभ लेकर मौके से फरार हो गये । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुन्डई गेटज कार के अन्दर सीट के नीचे रस्सी से बांधी हुयी 02 जीवित गाय, कटान के उपकरण चापड, 02 छूरी व रस्सिया आदि बरामद हुई । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना डिडौली पर 348/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम 34 भादवि पंजीकृत किया गया ।

पुछताछ पर अभियुक्त उवैश द्वारा आर्थिक लाभ लेने हेतु इन आवारा घुमती हुयी गायों को पकडकर उन्हे काटकर मांस बेचने के इरादे से आना बताया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. उवैश पुत्र आशकार निवासी ग्राम ढकिया चमन थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त उवैश:-

1. मु0अ0सं0 348/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम 34 भादवि थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

फरार अभियुक्त:-

1. शौकीन पुत्र स्व0 मामीन निवासी ग्राम ढकिया चमन थाना डिडौली जनपद अमरोहा व 01 अज्ञात ।

बरामदगी:-

1. 02 जीवित गाय
2. कटान के उपकरण चापड, 02 छूरी, रस्सी आदि
3. कार हुन्डई गैटज UP16H 8721

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मोहित चौधरी थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. वरि0उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 श्री मोईन थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
4. हे0का0 144 रघुवीर सिंह थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
5. का0 1060 रणवीर सिंह थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

